संख्या- 126 /2026 /914 /चार-2026-1989854

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ : दिनांक: 30 मार्च, 2026**

विषय- उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ परिसर में निर्मित भवन आर्काइवल गैलरी में एल0ई0डी0, बेजल वाल, आडियो सिस्टम/उपकरण, मंच प्रकाश संबंधी उपकरण, डायस फर्नीचर आदि कार्य किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4817/सं0नि0-06(27)/2024-25, दिनांक 20 मार्च, 2026 के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ परिसर में निर्मित भवन आर्काइवल गैलरी में एल0ई0डी0, बेजल वाल, आडियो सिस्टम/उपकरण, मंच प्रकाश संबंधी उपकरण, डायस फर्नीचर आदि कार्यों को संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से जेम/ई-निविदा के माध्यम से कार्य कराने हेतु **धनराशि रू0 100.00 लाख/- (रू0 एक करोड मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ के पक्ष में प्रदान करने का अनुरोध किया गया है :-

2- उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ परिसर में निर्मित भवन आर्काइवल गैलरी में एल0ई0डी0, बेजल वाल, आडियो सिस्टम/उपकरण, मंच प्रकाश संबंधी उपकरण, डायस फर्नीचर आदि फर्नीचर आदि कार्यों को संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से जेम/ई-निविदा के माध्यम से कार्य कराने हेतु **धनराशि रू0 100.00 लाख/- (रू0 एक करोड मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :-

शर्तें/ प्रतिबन्ध:-

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा- निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृति उ0प्र0 संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

3. अत: इस संबंध में होने वाला व्यय **धनराशि रू0 100.00 लाख/- (रू0 एक करोड मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92-लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-33-उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ परिसर में आर्काइवल गैलरी निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
4- निदेशक, उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।